(बस स्टेशन मसूदाबाद, अलीगढ को निविदा तोड़ने सूचना.)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गतं बस स्टेशन मसूदाबाद, अलीगढ़ के पुराने भवनों को तोड़कर उसका **मलवा हटाने हेतु** निगम मुख्यालय लखनऊ के **पत्रांक–1087बी / डीए /पं0/18, दि0 16.10.2018** में दिये गये **नीलामी** निर्देशानुसार **दिनांक–20.11.2018** को **क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बरौला वाई पास रोड़, अलीगढ़** में **सील्ड निविदाऐ** आमंत्रित कर नीलामी कार्यवाही संम्पन्न होगी। नीलामी निविदाओ की कार्यवाही हेतु प्रकिया विवरण निम्नवत् है–

1 निविदा फार्म कय करने की अवधि– दिनांक 14.11.2018 से 19.11.2018 तक कार्यालय अवधि में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय,बरौला बाईपास रोड़ अलीगढ़ स्थित कैश रूम कार्यालय से निविदा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर नगद धनराशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। अथवा निगम वेवसाईट से डाउनलोड़ से निर्धारित प्रारूप प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते है।

2ः निविदा फार्म जमा करने का स्थान तिथि एंव समय–क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बरौला बाईपास रोड़ अलीगढ़ स्थिति निर्धारित तिथि को कार्यालय में रखे सील्ड निविदा बाक्स ,सील्ड निविदाये दिनांक–20.11.2018 को समय 14.00 बजे तक डाले जायेगे।

3. **प्राप्त सील्ड निविदाओ पर प्रकिया दिनांक समय एंव स्थान** – दिनांक 20.11.2018 समय 15.00 वजे क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय ,अलीगढ़ में निर्धारित क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा सील्ड **निविदाओ** को निविदादाताओ की उपस्थिति में खोलकर प्रक्रिया पूर्ण होगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	निविदा मूल्य नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट सहित डाउनलोड	धरोहर/ जमानत प्रतिभूति धनराशि रू0	कार्य पूर्ण करने का समय
1.	बस स्टेशन मसूदाबाद ,परिसर अलीगढ़ के क्षतिग्रस्त एंव निष्प्रयोज्य भवनों **(बस स्टेशन परिसर कां खंरजा ,तिमंजा भवन की चारदीवारी,सेवा प्रबन्धक कार्यालय की चारदीवारी,ओवर हेड टैक,ट्यूबबैल एव सुलभ शौचालय को छोड़कर)** को तोड़नें (भूतल तक) एंव प्राप्त सामग्री/मलवे को कार्य स्थल प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार साफ करना होगा।(जहाँ है जैसे के आधार पर संलग्न मानचित्र के अनुसार)	**रू0 500.00+90.00 (जी0एस0टी0)= रू0 590.00** नगद अथवा निगम वेवसाईट **WWW.upsrtc.com** से डाउनलोड कर, **क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अलीगढ़ के नाम से रू0 590.00 के बैकड्राफ्ट सहित.**	**1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) जिसे निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने पर वापस होगा।**	तीन माह (जारी आदेश दिनांक से) **उसके 10 दिवस की विलम्ब अवधि तक निर्धारित अर्थदण्ड की धनराशि सहित**

Downloaded from www.upsrtc.com

निविदादाता को निम्न शर्तो के अधीन ही निविदा फार्म भरकर निविदा बाक्स में डालना अनिवार्य होगाः–

1. निविदादाता को **केन्द्र अथवा राज्य सरकार से पंजीकृत ठेकेदार होना अनिवार्य है।** जिसका **प्रमाणपत्र** संलग्न करना होगा।

2- निविदा दाताओ को **अपना नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, सक्षम अधिकरी द्वारा जारी वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र, पेन कार्ड व जी0एस0टी0 नं0, एंव विगत तीन वर्ष के आयकर रिटर्न सहित उपरोक्त समस्त प्रपत्रों की स्वः सत्यापित छायाप्रतियॉं संलग्न करनी होगी।**

3. निविदाता/ठेकेदार को उपरोक्त कार्यो को पूर्ण करने हेतु समस्त प्रकार के शासकीय करों, एंव नगर निगम टैक्स सहित समस्त धनराशि का भुगतान भी स्वंय ही करना होगा।

4.**निविदा दाता द्वारा** शर्ते पूर्ण न किये जाने पर प्राप्त **निविदा** पर विचार नही किया जायेगा।

5.**निविदा** को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार **सक्षम अधिकारी/क्षेत्रीय समिति** को होगा एंव उनका निर्णय अंन्तिम होगा।

6.निविदादाता द्वारा **प्रस्तावित कार्य की धनराशि को निविदा फार्म पर अंको एंव शब्दो में स्पष्ट अंकित करना होगा । इसके अतिरिक्त रू0 1,00,000.00(रू0 एक लाख मात्र) की धरोहर राशि का भी बैक ड्राफ्ट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निमम, अलीगढ़ के नाम से** निविदा फार्म के साथ लगाना होगा।

7.**निविदा** की सभी औपचारिकताऐ पूर्ण होने के पश्चात **क्षेत्रीय समिति द्वारा अर्ह प्रस्ताव** को निगम **मुख्यालय** को **भेजेगे, मुख्यालय के अनुमोदन के उपरांन्त निविदादाता को** 3 दिवसों के अंन्तर्गत **प्रस्ताव में अंकित धनराशि समस्त**

टैक्स सहित का बैंकड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अलीगढ़ के नाम से जारी हो, को जमा करने के उपरांन्त **कार्य आदेश** नियमानुसार जारी किया जायेगा।

8.ठेकेदार को **कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से तीन माह** में कार्यस्थल से समस्त मलवा की सफाई करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तीन माह कार्यवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में क्षेत्रीय समिति के अनुमोदन पर 10 दिवस का अतिरिक्त समय **रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) प्रति दिवस** की पेनाल्टी सहित अनुमन्य किया जा सकता है। अतिरिक्त अवधि की अनुमति के पश्चात भी ठेकेदार कार्य पूर्ण नही करता है तो जमा प्रतिभूति एंव प्रस्तावित कार्य हेतु जमा धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त कर उसको काली सूची में डाल दिया जायेगा। जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।

9.प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ **रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र)** का नान **जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अपने पासपोर्ट साईज फोटो** लगाते हुए ,एक रू0 का राजस्व टिकट लगाकर दी गई शर्तो का बिन्दुबार उल्लेख कर हस्ताक्षर सहित संलग्न करना होगा।

10.**निविदा दाता को बस स्टेशन** मसूदाबाद के पुराने भवन, तुड़वाने, मलवा उठवाने की अवधि में **प्रयुक्त किसी शब्द ,अभिव्यक्ति, शर्त या उपबन्ध के अर्थ निबचत या अर्धान्वयन के संम्बन्ध में किसी पक्ष के अधिकारों या दायित्वों के संम्बन्ध में या अन्य किसी प्रकार के मामले में कोई विवाद/संशय या मतभेद उत्पन्न** होने पर उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय या उनके द्वारा नामित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के किसी अधिकारी का एक मात्र **मध्यस्थ (Arabitrator)** हेतु ऐसा विषय संदर्भित किया जायेगा और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय /अधिनिर्णय उभय पक्षकारों के बीच अंतिम निर्णायक एंव बाध्ययकारी होगा। ऐसे सभी संन्दर्भो में **मध्यस्थ (Arabitrator) एक्ट 1996 के प्रावधान एंव उसके अंन्तर्गत निर्मित नियम निस्तारण हेतु लागू होगा।**

11.**कार्य** के दौरान ठेकेदार अपने मजदूरों को मानक के अनुसार पूर्ण सुरक्षा यंत्रों सहित ही कार्य कराना सुनिश्चित करेगे। किसी मजदूर, अथवा निगम कार्मिक को किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना, अथवा लापरवाही में शारिरिक क्षति/घायल/मृत्यु होने आदि की दशा में ठेकेदार पूर्णरूप से जिम्मेदार होगें, परिवहन निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। परिवहन निगम क्षतिपूर्ति ठेकेदार से बसूलने के लिए स्वतंत्र होगी।

12.निविदा संम्बन्धी कोई अन्य जानकारी/सूचना क्षे0प्रब0 कार्यालय अलीगढ़ से की जा सकती है।

14/11/18

(जेड0ए0नोमानी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

Downloaded from www.upsrtc.com

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़
Website : WWW.upsrtc.com
E.mail : rmali@upsrtc.com

पत्रांकः क्षेप्र/अली/जी–97/मसूदाबाद बसस्टेशन–नीलामी/2018– 7026 **दिनांकः** 14 **/11/2018**

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जन संम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करे।
2. जिलाधिकारी, महोदय, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
3. अधिशासी अभियन्ता (पश्चिम) ,परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को उनके द्वारा पत्रांक–108बी /डीए /पं0/18, दि0 16.10.2018 में दिये गये निर्देशों के कम सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक प्रबन्धक (एमआइएस) ,परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा सूचना को निगम की वैव साइट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करे।
5. सेवा प्रबन्धक /सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0 प्र0 परिवहन निगम, अलीगढ़।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचनार्थ प्रसारण क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, अलीगढ़/आगरा /गाजियाबाद/नोएडा एंव सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अलीगढ़/बुद्वविहार/एटा/कासगंज/नरौरा/हाथरस/अतरौली।
7. क्षेत्रीय लेखाकार/सहायक कैशियर, इसी कार्यालय हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14/11/18

क्षेत्रीय प्रबन्धक।